अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(43)ग्राविवि–5/पीएमएवाई/मॉनिटरिंग–1./विविध/ 2016–17 जयपुर, दि.26 अप्रैल, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त ,राजस्थान।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजना के कियान्वयन के सम्बंध में।**
प्रसगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2016

भारत सरकार के निर्देशानुसार "**ग्राम उदय से भारत उदय अभियांन**" दिनांक 14.अप्रैल, से 24 अप्रैल 2016 तक चलाया गया, जिसके अन्तर्गत 24 अप्रेल को आयोजित ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय,, भारत सरकार, से प्राप्त निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन **SECC--2011**(सेक–2011) **की रिपोर्ट के अनुसार डाटा का उपयोग कर वरीयता सूची का अनुमोदन कराये जाने के निर्देश दिये गये।**

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अनुमोदित वरीयता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण 30 मई, 2016 किया जाना है। इस हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2016 तक जिला अपीलेट (Appellate) कमेटी का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त जिला अपीलेट (Appellate) कमेटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया एवं एक गैर सरकारी प्रतिनिधि जिला कलेक्टर द्वारा नामित किये जाने के निर्देश दिये गये है, इस हेतु जिले में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जावे। सुलभ संदर्भ हेतु अरावली संस्था की वेब–साईट www.aravali.org.in पर गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपलब्ध सूची भी उपयोग में ली जा सकती है। उक्तानुसार कार्यवाही करवाकर जिलें में गठित अपीलेट कमेटी गठन कर सूचना विभाग को प्रेषित करावें।

अतः निर्देशानुसार वरीयता सूची पर आपतियॉ प्राप्त करने बाबत स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, पम्पलेट, बैनर आदि उपयुक्त माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें एवं निर्धारित समय सीमा में 30 मई तक प्राप्त आपतियों पर आवश्यक कार्यवाही कराकर, अन्तिम वरीयता सूची दिनांक 07 जून 2016 तक आवास साफ्ट पर आवश्यक रूप से अपलोड करावे।

संलग्न - MORD letter

(के.के. शर्मा) 21/4
अधीक्षण अभियंता, ग्राविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त सचिव,(ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, एवं आयुक्त, पंचायत राज विभाग।
6. जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब--साईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्राविं